59

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
42/2018/प्रा.पत्र/2018	06.07.2018	31.05.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री नौरत मल अग्रवाल पुत्र स्व. मदनलाल निवासी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बनवारी लाल नौरत मल नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0

2– मैसर्स बनवारी लाल नौरत मल नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0

3–श्री जितेन्द्र परिहार पुत्र मोहन लाल परिहार निवासी कुम्हारो का बांस फलोदी जिला जोधपुर नॉमिनी मैसर्स श्री राधे केम फूड अग्रवाल कॉलोनी न्यू रोड फलौदी जिला जोधपुर राज0

4– मैसर्स श्री राधे केम फूड अग्रवाल कॉलोनी न्यू रोड फलौदी जिला जोधपुर राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 31.05.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.02.2018 को समय सांय 12.32 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स बनवारी लाल नौरत मल नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से नौरत मल अग्रवाल पुत्र स्व. मदनलाल निवासी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बनवारी लाल नौरत मल नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक में **आयोडाइज्ड नमक महाकोष पॉली पैक (Iodized Salt Mahakosh Poly Pack)** जिसके बैच नं. 01 एंव पैकिग दिनांक 01/2018 थी रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री नौरत मल अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता नौरत मल अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में **आयोडाइज्ड नमक महाकोष पॉली पैक (Iodized Salt Mahakosh Poly Pack)** के 25–25 किलोग्राम के प्लास्टिक के 27 कट्टे सील्ड पैक मे से एक कट्टे को खोलकर मे से 1–1 किलोग्राम के 4 पॉलीपैक सील्ड पैक कुल वनज 4.0 किलोग्राम का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतू रखे हुये मे से **आयोडाइज्ड नमक महाकोष पॉली पैक (Iodized Salt Mahakosh Poly Pack)** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री नौरत मल अग्रवाल को रू0 16/–अक्षरे सोलह रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक 820

Scanned by CamScanner

56

फलौदी जिला जोधपुर राज0 शास्ति 11,000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 31.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner